UPBG010027092026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थितः मनोज कुमार–III, एच.जे.एस.

जे.ओ.कोड सं. यू.पी. 1909

कम्प्यूटर जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–959/2026

1. सहदेव पुत्र रमेश, निवासी ग्राम सरूरपुर कलां, थाना व जिला बागपत।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1. उ0 प्र0 राज्य ...अभियोजक।

मु.अ.सं.–237/2026
धारा–191(2),191(3),109(1),
115(2),352,117(2)B.N.S.
थाना–बागपत,
जिला बागपत।

दिनांकः–29–05–2026

प्रार्थी/अभियुक्त सहदेव की ओर से यह प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ इन्द्रवेश पुत्र ब्रहमपाल का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि **अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।** अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को झूँठा फॅसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने उक्त अपराध नहीं किया है। अभियोगी द्वारा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दिया गया है। अभियोगी व अभियुक्तगण के खेत मिले हुए हैं तथा मेढ़ को लेकर अक्सर विवाद रहता है। कथित घटना के समय व दिनांक को अभियोजन पक्ष अपने खेत में काम कर रहा था तथा वहीं पर उन्हें किसी प्रकार से चोट आई है अथवा अभियोजन द्वारा फर्जी डाक्टरी करायी गयी है। कथित घटना को समय व दिनांक को अभियुक्त कथित घटना स्थल पर नहीं था, अपने घर पर था। अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्ण दिनांक 13.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। सह–अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.05.2026 को स्वीकार किया जाचुका है। जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अशोक कुमार द्वारा दिनांक 18.04.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी गयी कि दिनांक 17.04.2026 को वह तथा उसका भाई लोकिन्द्र पुत्र चरणसिंह व उसका भतीजा शुभम पुत्र लोकिन्द्र, निवासी सरूरपुर कलां अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी समय करीब साढे ग्यारह बजे सहदेव पुत्र रमेश निवासी सरूरपुर कलां ट्रेक्टर महिन्द्रा को चलाकर लाया, जिस पर शिव कुमार, सुरेश, परिषद, अग्निवेश, निवासी सरूरपुर कलां बैठे थे। उक्त लोगों ने उसके खेत की डौल को ट्रेक्टर से तोडना शुरू कर दिया, जब उन्हें मना किया तो उक्त लोगों ने

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.05.30 10:24:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारपीट शुरू कर दी। उक्त सभी ने एक राय होकर बुरी तरह से मारपीट शुरू कर दी, परिषद ट्रेक्टर से फावडा उठाकर शुभम के सिर पर जान से मारने की नीयत से वार किया। शुभम ने अपने बचाव में हाथों से फावडे का वार रोकने का प्रयास किया तो उसके हाथ की अंगुलियॉ कट गयी और लहुलुहान हो गया। सहदेव व अन्य लोगों ने जान से मारने की नीयत से ट्रेक्टर को तेजी से चलाकर उपर चढाकर जान से मारने का प्रयास किया, ट्रेक्टर का पहिया चढ जाने से लोकिन्द्र के पैरों की हडडी टूट गयी। वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागने लगा तो उक्त लोगों ने उसका पीछा किया। फिर 112 पर कॉल के बाद पुलिस वहॉ मौके पर आयी और उन्हें थाने जाने को कहा। उक्त लोगों ने धकी दी कि आज उन्हें मौत के उतार देते, आगे फिर जिन्दा नहीं रहने देंगे। इस घटना में लात घुसें मारने से उसे भी गुम चोटें आई हैं।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व वादी के विद्वान अधिवक्ता ने ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। उसके द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित किया गया है, जिसमें दो लोगों को गम्भीर प्रकृति की चोटें आई हैं तथा शुभम के हाथ की अंगुलियॉ कट गयी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण द्वारा लोकिन्द्र के उपर ट्रेक्टर चढाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया, जिससे उसके पैर की हडडियॉ टूट गयी तथा उसके सिर पर भी गम्भीर चोट आई है। वादी मुकदमा व चुटैल साक्षीगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा थाने से प्राप्त आख्या व समस्त पत्रावली/केसडायरी का परिशीलन किया।

घटना दिनांक 17.04.2026 के सम्बन्ध में वादी अशोक कुमार द्वारा दिनांक 18.04.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने पर उपरोक्तानुसार पंजीकृत करायी गयी, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त, अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ नामित है।

चुटैल लोकिन्द्र की सामु० स्वा० केन्द्र, बागपत की चिकित्सीय आख्या दिनांकित 17.04.2026 के अनुसार उसके शरीर पर कुल पॉच चोटें आने का उल्लेख किया गया है, जो कंधे पर एब्रेजन, बांयी बाजू पर, बांयी अग्रबाहू पर, बांयी कोहनी की जोड पर तथा बांये घुटने के जोड पर आना वर्णित है। चिकित्सक के अनुसार उक्त चोटों में से चोट संख्या 1 ता 4 साधारण प्रकृति की थीं तथा चोट संख्या 5 को जेरे निगरानी रखा गया। चिकित्सिक के अनुसार उक्त चोटें कठोर कुन्दाले से पहुॅचाी गयी थी तथा चुटैल को बांये घुटने के एक्सरे हेतु संदर्भित किया गया।

चुटैल शुभम की सामु० स्वा० केन्द्र, बागपत की चिकित्सीय आख्या दिनांकित 17.04.2026 के अनुसार उसके शरीर पर कुल दो चोटें आने का उल्लेख किया गया है, जिनको जेरे निगरानी रखा गया तथा उक्त चोटों को भी कठोर कुन्दाले से आने का उल्लेख किया गया है। चुटैल शुभम को हॉयर सेन्टर के लिए सर्जिकल राय हेतु व अग्रेतर उपचार हेतु रेफर किया गया।

चुटैल शुभम की नोवा हॉस्पिटल, गंगानगर मेरठ की डिस्चार्ज समरी केसडायरी में संलग्न है, जिसके अनुसार चुटैल को दिनांक 17.04.2026 को उक्त हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तथा उसका दांये अंगूठे व लिटिल फिंगर का उपचार

करने के उपरान्त दिनांक 19.04.2026 को संतोषजनक अवस्था में डिस्चार्ज करने का उल्लेख किया गया है। चुटैल लोकिन्द्र की कोई पूरक आख्या अथवा एक्सरे रिपोर्ट इस स्तर पर केसडायरी में संलग्न नहीं है। वादी मुकदमा की ओर से चुटैल लोकिन्द्र की सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज मेरठ की डिस्चार्ज स्लिप की फोटोप्रति जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न की गयी है, जिसमें लोकिन्द्र को दिनांक 17.04.2026 को भर्ती होने तथा दिनांक 19.04.2026 को डिस्चार्ज होने का उल्लेख करते हुए उसके सिर पर चोट आने का भी उल्लेख किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त मुख्य अभियुक्त है, क्योंकि उसकी के द्वारा लोकिन्द्र के उपर ट्रेक्टर चढाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया, जिससे उसके पैर की हडडियॉ टूट गयी तथा उसके सिर पर भी गम्भीर चोट आई है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उक्त दोनों चुटैलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागपत पर दिनांक 17.04.2026 को चिकित्सीय परीक्षण चिकित्सक द्वारा किया गया था, उक्त चिकित्सीय परीक्षण के समय चुटैल लोकिन्द्र के सिर पर किसी चोट के आने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चुटैल लोकिन्द्र के सिर की चोट फर्जी तरीके से बनवायी गयी है।

उपरोक्त के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उददेश्य के अग्रसरण में गाली गलौंज करते हुए वादी अशोक कुमार, उसके भाई लोकिन्द्र व भतीजे शुभम के साथ जान से मारने की नीयत से फावडे से प्रहार करके, ट्रेक्टर को उनके उपर चढाकर तथा लात घुसों से मारपीट करके गम्भीर उपहति कारित करने का अभियोग है। चुटैल लोकिन्द्र की सामु० स्वा० केन्द्र, बागपत की चिकित्सीय आख्या दिनांकित 17.04.2026 के अनुसार उसके शरीर पर कुल पॉच चोटें आने का उल्लेख किया गया है, जो कंधे पर एब्रेजन, बांयी बाजू पर, बांयी अग्रबाहू पर, बांयी कोहनी की जोड पर तथा बांये घुटने के जोड पर आना वर्णित है। चिकित्सक के अनुसार उक्त चोटों में से चोट संख्या 1 ता 4 साधारण प्रकृति की थीं तथा चोट संख्या 5 को जेरे निगरानी रखा गया। चिकित्सिक के अनुसार उक्त चोटें कठोर कुन्दाले से पहुॅचाी गयी थी तथा चुटैल को बांये घुटने के एक्सरे हेतु संदर्भित किया गया। चुटैल लोकिन्द्र की उक्त इन्जरी रिपोर्ट में उसके सिर पर कोई चोट आने का उल्लेख नहीं है तथा जो प्रपत्र वादी मुकदमा की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किया गया है, वह फोटोप्रति है। चुटैल शुभम की सामु० स्वा० केन्द्र, बागपत की चिकित्सीय आख्या दिनांकित 17.04.2026 के अनुसार उसके शरीर पर कुल दो चोटें आने का उल्लेख किया गया है, जिनको जेरे निगरानी रखा गया तथा उक्त चोटों को भी कठोर कुन्दाले से आने का उल्लेख किया गया है। चुटैल शुभम को हॉयर सेन्टर के लिए सर्जिकल राय हेतु व अग्रेतर उपचार हेतु रेफर किया गया। चुटैल शुभम की नोवा हॉस्पिटल, गंगानगर मेरठ की डिस्चार्ज समरी केसडायरी में संलग्न है, जिसके अनुसार चुटैल को दिनांक 17.04.2026 को उक्त हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तथा उसका दांये अंगूठे व लिटिल फिंगर का उपचार करने के उपरान्त दिनांक 19.04.2026 को संतोषजनक अवस्था में डिस्चार्ज करने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार किसी चुटैल को कोई चोट शरीर के मार्मिक अंग पर आना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। जहॉ तक अभियोजन की ओर से अभियुक्त के प्रस्तुत आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, उसके विरूद्ध दो प्रकरण दर्शित किया गया है, परन्तु कोई दोषसिद्धि दर्शित नहीं की गयी

है। सह–अभियुक्तगण शिवकुमार आदि का जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 13.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये, न्यायालय का मत है कि अभियुक्त को जमानत किये जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सहदेव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु० पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के आधार पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त इस प्रकृति का अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
4. विचारण प्रारम्भ होने पर अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा और साक्षी के उपस्थित होने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

दिनांकः–29.05.2026

(मनोज कुमार–III),
सत्र न्यायाधीश,
बागपत।
J.O.Code–U.P.1909